न्यायालय उप तहसीलदार तहसील सिंघाना जिला झुन्झुनू

मु0न0	किस्म मु0	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
38/19	धारा 91	18.07.19	06.08.19

उनवान सरकार बनाम विनोद पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण नि0 माकडो तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम ढाणी हुक्मा की राजकीय भूमि गै0मु0 तालाब के ख0न0 464 रकबा 1.02 है0 किस्म गै0मु0 तालाब मे से 0.01 है0 एवं ख0न0 457 रकबा 1.12 है0 किस्म गै0मु0 जोहड मे से 0.01 है0 भूमि पर अतिक्रमी विनोद पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण नि0 माकडो तहसील बुहाना ने अवैध रूप से लकडी का खोखा लोहे की चदर व बाड बनाकर कर अवैध रूप से अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी अनुपस्थित।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमी जो काबिज नियमन नही है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतः उक्त अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है। व गैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गय लोहे की चदर व बाड बनाकर के दण्ड स्वरूप अतिक्रमण शुदा भूमि के लगान 0.47 की 50 गुणा जुर्माना राशि 24 /- रू बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0नि0/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/ वसुली/ कर राशि राज़ कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू0 अ0नि0 को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम होकर दर्ज फैसला हो।

आज दिनांक 06.08.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

नायब तहसीलदार

[illegible] 9
[illegible] 24

[illegible]

Scanned with CamScanner